

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म०प्र०)

--: आदेश :-

क्रमांक: 121 /को.वा./2020

खंडवा, दिनांक 02 मई, 2020

- विषय :- दिनांक 26 मार्च से प्रारंभ हुए न्यायालयीन अकार्य दिवस में दिनांक 17 मई, 2020 तक वृद्धि बाबत।
- संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का आदेश क्रमांक-क्यू 5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 की निरंतरता में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-6 जबलपुर, दिनांक 14 अप्रैल, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक क्यू-11 जबलपुर, दिनांक 02 मई, 2020।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के अनुसार दिनांक 14.04.2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में "अकार्य दिवस" घोषित किया गया था, जिसे संदर्भित परिपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के अनुसार दिनांक 03 मई, 2020 तक, फिर संदर्भित परिपत्र दिनांक 02 मई, 2020 के अनुसार दिनांक 17 मई, 2020 तक निरंतर प्रभावशील रखा गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश से खंडवा और उसकी तहसील हरसूद/पुनासा में कार्यरत न्यायालयों को अवगत कराते हुए आदेशित किया जाता है कि :-


- 1- सभी न्यायाधीशगण और सभी कर्मचारीगण इन अकार्य दिवस में क्रमशः जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने-अपने वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में सतत बने रहेंगे, मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, अपने-अपने मोबाईल चालू रखेंगे, किसी भी प्रकार की आवश्यकता की दशा में सुसंगत आदेश का पालन उनके द्वारा किया जावेगा।
- 2- दिनांक 17.05.2020 तक पूर्व से नियत किसी भी प्रकरण में नियत दिनांक को सुनवाई नहीं होगी, न्यायालय में पूर्णतया अकार्य दिवस रहेगा। किसी भी पक्षकार/उनके अभिभाषकगण को नियत पेशी तारीख पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि में संबंधित पक्षकारगण/अभिभाषकगण को सुनवाई हेतु नियत की जाने वाली आगामी पेशी की सूचना पक्षकारगण/अभिभाषकगण के द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस./न्यायालयीन सूचना पटल पर सूची के द्वारा दी जावेगी। सी0आई0एस0 में भी प्रविष्टि दर्ज की जा रही है।
- 3- दिनांक 17.05.2020 तक न्यायालय परिसर में उन्हीं न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण के द्वारा प्रवेश किया जा सकेगा, जिन्हें कि अनिवार्य और अत्यावश्यक कर्तव्य निष्पादन हेतु अधिकृत/आदेशित किया जावेगा/किया गया है। इसी प्रकार मात्र वे ही पक्षकार या उनके अभिभाषकगण निर्धारित समयावधि के दौरान न्यायालय परिसर में अत्यावश्यक व तात्कालिक कार्य हेतु न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे; जिनका कि तात्कालिक व अत्यावश्यक सुनवाई योग्य मामले से संबंध है और कार्यवाही में भाग लेने हेतु उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अन्य सभी अभिभाषकगण/उनके अधीनस्थ कार्यरत उनके लिपिक/पक्षकारगण को दिनांक 17.05.2020 तक के लिए बिना पूर्व अनुमति न्यायालय परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं रहेगी।
- 4- तात्कालिक एवं अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य हेतु संबंधित पक्षकारगण और उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषकगण द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की दशा में जिला न्यायालय खंडवा में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी श्री हरीश कुमार उत्तानी के मोबाईल

नम्बर 8109232299, ईमेल आई.डी dcourtkh-d-mp@nic.in तथा लेखापाल श्री अशोक अरझरे के मोबाईल नम्बर 8989519807, ईमेल आई.डी. ashokarzare 1072@gmail.com पर संदेश/याचिका-आवेदन प्रेषित/दर्ज किया जा सकेगा। ऐसे कार्य के निष्पादन हेतु इन दोनों ही न्यायालयीन प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क कर सुसंगत आदेश/निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे।

5- 'कोरोना वायरस' महामारी के चलते केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले परिपत्र/दिशा-निर्देश का पालन सभी न्यायिक अधिकारीगण/उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारीगण/स्थापना पर पदस्थ सभी कार्यरत कर्मचारीगण करेंगे।

6- उपरोक्त वर्णित परिपत्र, दिशा-निर्देश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा के द्वारा जारी परिपत्र/आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अथवा उसकी उपेक्षा की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी गंभीर कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :-संदर्भित परिपत्र दिनांक 02.05.2020।



(एल.डी. बौरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा

पृष्ठांक 0 क्र. 6/को.वा./2020

खंडवा, दिनांक 02 मई, 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1 खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण।
- 2- अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा
- 3- जिला न्यायालय खण्डवा के समस्त कर्मचारीगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा